

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल महोदय ग्रामियर म०प०,



छोटे तन्य बजीर वक्षा मुसलमान निवासी ग्राम ऐदा तहसील चितरंगी जिला  
सीधी ₹५०प०।

आवेदक/अपीलार्थी

वनाम

पारस तन्य सुगन लाल बेसवार निवासी ग्राम ऐदा तहसील चितरंगी जिला  
सीधी ₹५०प०।

जनाधिकारी/ऐलाइन

द्वितीय अपील विस्तु आदेश न्यायालय श्री मान  
आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के राजस्व  
प्रकरण क्रमांक - 101/अपील/01x02 आदेश दिनांक  
13.12.04

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा-4 पृ० 2४ म०प० मू-  
राजस्व संहिता 1959

क्रमांक ५६४  
राजस्व विभाग रीवा आज  
दिनांक ५.५.५१ उपरा  
राजस्व विभाग, राजस्व अधिकारी  
मान्यवर,

निम्नलिखित आधार पर द्वितीय अपील प्रस्तुत है:-

1. यह कि आदेश आधीनत न्यायालय विधि प्रक्रिया एवं सहज न्याय के विपरीत होने के कारण काविल निरस्तगी है।
2. यह कि प्रकरण में सदायक बन्दोबहत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदनी अपने आप अपूर्ण था किन्तु अपूर्ण एवं आधे अधूरे प्रतिवेदन का विना सूक्ष्म-विश्लेषण किये विना निर्णय पारित करने में आधीनत न्यायालय ने बहुत बड़ी गूंज की है इस कारण नी आदेश आधीनत न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि ग्राम रद्दा तहसील चितरंगी की आराजी खसरा क्रमांक - 172/



R

## राजस्व पण्डल, पश्यग्रादेश-गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. A.U.36.I/05 जिला दीनपुर